न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री मोहनलाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 284/2018

-: वादी :-	बनाम	-: प्रतिवादी :-
1. शंकर पुत्र भोला जाति-ढाडी, निवारी-कुडकी, तहसील-जैतारण, जिला-पाली (राज.)		1. सतार पुत्र भोला 2. रसीद पुत्र भोला 3. तहसीलदार, तहसील-जैतारण। 4. पटवारी, पटवार हल्का कुडकी, तहसील-जैतारण, जिला-पाली (राज.)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136 राजस्थान भू-राजस्अधिनियम, 1956

तारीख रजू:.17/12/2018

उपस्थितः-

1. श्री मती संगीता व्यास, अधिवक्ता, वादी।
2. श्री राजुनाथ चौलावत, अधिवक्ता प्रतिवादी।

-:: निर्णय ::- **दिनॉकः- 18/02/2019**

वकील मय प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थना बाबत् रेकर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956, के तहत् विरुद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा-सरहद मौजा-खिन्दावास, पटवार हल्का-कुडकी, भू.अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र रास, तहसील-जैतारण, जिला-पाली स्थान में प्रार्थी के नाम की खातेदारी एवं कब्जे सुदा कृषि भूमि खसरा नम्बर 272 रकबा 4-07 बीघा आई हुई है। जिसकी वर्तमान जमाबंदी संवत् 2071-2074 की प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। जिसे प्रार्थना पत्र का एक आवश्यक भाग माना जावें। उपरोक्त कृषि भूमि में प्रार्थी के पिता भोला की मृत्यु के पश्चात् फौतेदगी म्यूटेशन भरा गया जिसमें प्रार्थी के नाम शकूर की जगह शंकर लिखा गया जो नाम शंकर सहवन से त्रुटिवश लिखा गया है इसी के आधार पर आज दिन तक प्रार्थी का नाम वर्तमान जमाबंदी में भी शंकर चला आ रहा है। जो नाम गलत है जो काबिल दुरस्त है जिस नाम को दुरस्त किया जाकर शंकर की जगह शकूर किया जाना आवश्यक होने से यह प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम शकूर है जो प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत भारत सरकार द्वारा जारी निर्वाचन पहचान कार्ड व राजस्थान सरकार जारी राशन कार्ड एवं आधार कार्ड में प्रार्थी का नाम लिखा हुआ है। इस कारण से खसरा नम्बर 272 रकबा 4-07 बीघा में प्रार्थी का नाम शंकर के स्थान पर शकूर संशोधित किया जाना अति आवश्यक है। प्रार्थी को अपनी उक्त कृषि भूमि में बैंक से ऋण लेने की आवश्यक हुई तथा प्रार्थी ने पटवारी हल्का कुड़की एवं तहसीलदार जैतारण से उक्त खसरा नम्बर की जमाबंदी ली तब उक्त जमाबंदी में प्रार्थी का नाम शंकर अंकित होना सर्वप्रथम जानकारी में आया तब प्रार्थी ने पटवारी महोदय पटवार हल्का कुड़की को सही नाम दर्ज करने हेतु कई बार निवेदन किया एवं एक प्रार्थना पत्र अप्रार्थी श्रीमान् तहसीलदार जैतारण कार्यालय के कार्यालय से स्पष्ट रूप से इंकार कर दिया व सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने का कहा तब प्रार्थी की और से यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 88 राज काश्तकारी अधिनियम 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का श्रीमान् के समक्ष पेश है। इस प्रकार प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पेश कर माफिक प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने तथा प्रार्थी का उक्त राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज हिस्सा को दुरुस्त दर्ज किये जाने की ईशतदुआ की हैं।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिए सम्मन वास्ते जबाब दावा तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 01 व 02 की और से वकालतनामा एवं ईकबालिया जवाब दावा पेश किया, सा0मि. किया गया। ईकबालिया जवाब दावा में प्रतिवादी सं. 01 व 02 ने वाद के सभी तथ्यों को स्वीकार करते हुए वादी के नाम को दुरुस्त किये जाने की ईस्तदूआ की हैं। वाद के समर्थन में वादी का साक्ष्य का शपथ पत्र पेश किया, सा0मि0किया गया।

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

पत्रावली मय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जबाब दावा एवं वाद के समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्य शपथ पत्र का गहनता से अध्ययन किया गया। वस्तुतः जमाबन्दी सं. 2030–41 में वादी के पिता का नाम भोला पुत्र अलादीन दर्ज हैं। जमाबन्दी सं.2043–46 में जरिये नामा. के शकुर, सतार, रसीद कौम ढ़ाडी के दर्ज हुए, तत्पशात् जमाबन्दी सं. 2047–50 में शकुर का नाम शंकर दर्ज हो गया जो एक रोंग एन्ट्री हैं। जमाबन्दी सं. 2047–50 में शकुर का नाम शंकर गलत रूप से दर्ज हुआ जो लगातार गलत रूप से चला आ रहा हैं। साक्ष्य के रूप में वादी ने निर्वान विभाग का पहचान पत्र, आधार कार्ड एवं राशन कार्ड की छायाप्रतिया पेश की जिसमें वादी का नाम शकुर दर्ज हैं। लिहाजा वादी का वाद स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में गलत रूप से दर्ज शंकर के स्थान पर सही नाम शकुर राजस्व रेकर्ड में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाता हैं। डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा–खिन्दावास, पट्वार हल्का–कुडकी, भू.अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र रास, तहसील–जैतारण, जिला–पाली स्थान में प्रार्थी के नाम की खातेदारी एवं कब्जे सुदा कृषि भूमि खसरा नम्बर 272 रकबा 4–07 बीघा भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादी का गलत दर्ज नाम शंकर के स्थान पर वास्तविक एवं सही नाम शकुर दुरुस्त किये जाने की घोषणा की जाती हैं। डिक्री पर्चा पृथक से लिखा जाकर सा0मि0 किया गया। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला–पाली (राज.)

निर्णय आज दिनॉक 18/02/2019 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला–पाली (राज.)